वर्ष: 02 अंक: 08

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - जनवरी - 2023

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
न्यूजलेटर

वर्ष: 02 अंक: 08

जनवरी 2023

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह 20वां अंक है। अभी तक आप सभी के सहयोग व मार्गदर्शन से सफलतापूर्वक 19 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है। पूर्ववत ही इस बार भी हमने पत्रिका में अहम फैसलों, स्थलीय निरीक्षणों, समीक्षा बैठकों व अन्य महत्वपूर्ण विषयों को जगह दी है ताकि आम जनता को आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की वस्तुत: जानकारी मिल सके। साथ ही आयोग में आयोजित कार्यक्रमों को भी प्रकाशित किया गया है। आशा है मासिक पत्रिका के जरिए आपको जानकारी मिलती रहे और पत्रिका प्रकाशन में आपका सहयोग मिलता रहे।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

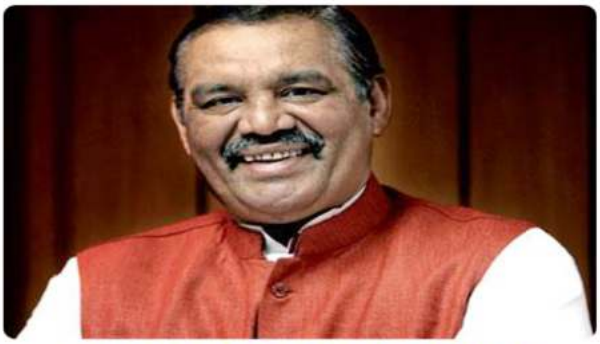

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

SHRI ARUN HALDER
VICE CHAIRMAN

DR. ANJU BALA
MEMBER

SHRI SUBHASH RAMNATH PARDHI
MEMBER

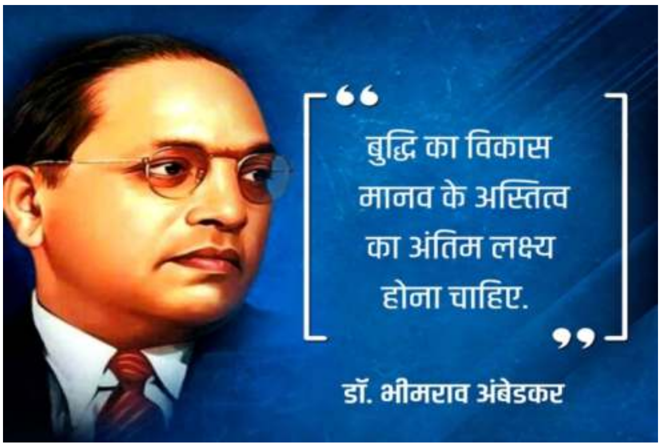

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश

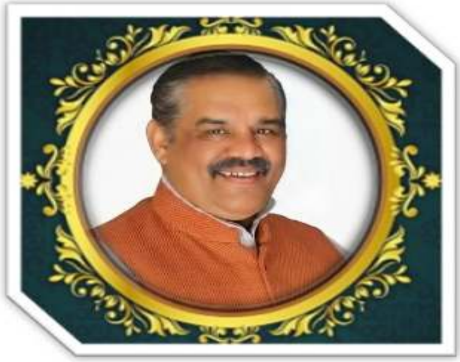

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

विजय सांपला

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

बीते जनवरी माह में देश ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार, अधिनयम (1935) के स्थान पर देश का संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान के जनक डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे बनाकर ये बोध कराया कि अब हम पूर्ण रूप से आजाद हैं। लेकिन अभी भी देश में अनुसूचित जाति वर्ग सामाजिक विषमताओं के कारण आजाद नहीं हुआ है। आए दिन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार, भेदभाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन घटनाओं पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नजर रहती है। लोगों से मिली शिकायतों, मीडिया-सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं पर आयोग संज्ञान लेता है। गत माह भी ऐसी कई घटनाएं घटीं जिन पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। कई मामलों में आयोग के दल ने घटना की पूर्ण जानकारी लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण भी किया। इसके अतिरिक्त आयोग समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं की समीक्षा भी करता रहता है जिससे उन संस्थाओं के भीतर अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों की समीक्षा की जा सके।

आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आयोग मुख्यालय से लेकर राज्य कार्यालयों में भी शिकायतों का निपटारा करने के लिए जनसुनवाई की जाती है। आयोग की प्रतिबद्धता है कि शहरों से लेकर दूरस्थ गांवों में रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाया जा सके। इसके लिए आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है।

हमारा प्रयास है कि आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी को मासिक पत्रिका के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए, 19 अंक प्रकाशित भी किए जा चुके हैं और इस बार 20 वां अंक प्रकाशित किया रहा है।

मासिक पत्रिका को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग पूर्ववत वांछनीय रहेगा।

जय हिंद!

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

दिल्ली में तोड़े गए घर, मौके पर पहुंचा आयोग

नई दिल्ली स्थित अलीगंज, खन्ना मार्केट (लोधी रोड़) में सीपीडब्लूयडी द्वारा झुग्गियों के तोड़े जाने के संबंध में स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष को शिकायत दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला पीड़ितों से मिले और पूरे मामले की जानकारी ली।

साथ ही निर्देशानुसार आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष पारधी स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर पीड़ितों का हाल जाना और लोगों को न्याय दिलाने का अश्वासन दिया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अतिक्रमण को तोड़ने से पहले पुनर्वास के इंतजाम करने होंगे। इस संबंध में भी हमने सीपीडब्लूयडी को यही निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने से पहले वहां पर रह रहे लोगों के पुनर्वास का इंतजाम किया जाए।

सोशल मीडिया से संज्ञान

Vijay Sampla @thevijaysampla · Jan 7
आरोप अति गंभीर हैं।
@DgpKarnataka मामले की विस्तृत जानकारी तुरंत @NCSC_GoI को भिजवाएं।

> **Komal karanwal** @Komal_karanwal · Jan 6
> कर्नाटक में जातिवाद की हद पार बैंगलोर के एक मंदिर में SC महिला के जाने से नाराज़ जातिवादियों ने मंदिर परिसर में SC महिला को पीटा' धक्के देकर बाहर निकाला जातिवादी लोग मंदिर बोर्ड के मेम्बर बताए जा रहें हैं' @CMofKarnataka जी उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
> Show this thread

7 28 108 2,731

Vijay Sampla
10.5K Tweets
Following

Vijay Sampla @thevijaysampla · Jan 1
मामले का संज्ञान लेकर महाराष्ट्र सरकार से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है।

> **The News Beak** @TheNewsBeak · Jan 1
> जातिवाद : Salman Khan के शो #BiggBoss16 में हो रहा है जातिवाद ?
> Archana Gautam की जाति पर किए गए बेहद घटिया कमेंट।
>
> पूरी वीडियो देखें – youtu.be/nHdwBSuJnCs
>
> Follow @TheNewsBeak & @TheShudra

56 567 2,523 113.7K

Vijay Sampla @thevijaysampla · Jan 1

पराक्रम दिवस पर नेताजी को अर्पित की गई पुष्पांजलि

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 126वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोग की सचिव श्रीमती उपमा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, डीआईजी श्रीमती सनमीत कौर, निदेशक श्री कौशल कुमार व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

बता दें कि अब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पराक्रम दिवस को मनाने की घोषणा की थी। नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' का ओजस्वी नारा दिया था।

दक्षिण पूर्व रेलवे प्रबंधन के साथ आयोग की बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। दल की अगुवाई आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार ने की। इस दौरान कोलकाता स्थित दक्षिण-पूर्व रेलवे मुख्यालय में आयोग ने दक्षिण-पूर्व रेलवे प्रबंधन के साथ बैठक की। इस बैठक ने आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, दक्षिण-पूर्व रेलवे प्रबंधन व संबंधित अनुसूचित जाति एसोसियशन के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे में कार्यरत अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों व अधिकारियों के हितों से संबंधित चर्चा की गई। साथ इस विभाग में अनुसूचित जाति से संबंधित विषयों की समीक्षा भी की गई।

मंदिर में जाने पर युवक को जलती लकड़ी से पीटा, पीड़ित परिवार से मिला आयोग

उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित मोरी थाना क्षेत्र में मंदिर में प्रवेश करने पर अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई करने व कोयले से दागने के मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया। मीडिया से मिली खबरों के आधार पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही आयोग दल ने माननीय सदस्या श्रीमती अंजू बाला की अगुवाई में स्थलीय निरीक्षण भी किया। माननीय सदस्या ने पीड़ित युवक के घर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर शीघ्र उचित कार्यवाही करने के लिए आश्वाशन दिया। बता दें कि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक आरोप था कि गांव के ही कुछ सवर्ण युवाओं ने अनुसूचित जाति के युवक को मंदिर के अंदर करीब 16 घंटे तक बंधक बनाए रखा। लकड़ी के जलते कोयले से दागा और बीच-बचाव करने आए युवक के पिता के सामने ही उसके कपड़े फाड़ दिए व नंगा कर पीटा। गंभीर रूप से घायल युवक को मोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में उपचार दिया गया। वहीं, इस मामले में मोरी थाना पुलिस ने बैनोल गांव के पांच युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना से गांव में तनाव है।

स्थलीय निरीक्षण

सड़क दुर्घटना में युवती की मौत, आयोग ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा

31 दिसंबर की रात अंजलि सिंह नाम की युवती की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद एक कार उसे सुलतानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई थी।

घटना में पीड़ित युवती की मौत हो गई थी। मीडिया में आई खबरों के आधार पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल पीड़िता के घर पहुंचा।

माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी की अगुवाई में घर पहुंचकर आयोग के दल ने पीड़िता के परिजनों से मामले की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित परिवार से भेंट कर न्याय का आश्वासन दिलाया।

खबरों में आयोग

on January 10.

By: Express News Service
Jalandhar | Updated: January 11, 2023 05:46 IST

NewsGuard

They showed the records to the NCSC chairman regarding the demolition of the houses of the SC community and the land in controversy. (Express Photo)

Listen to this article

01:36 1x 1.5x 1.8x

On the issue of demolition of houses at Latifpura here a month ago, senior officers of the Punjab government on Tuesday appeared before the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) in New Delhi to show the commission the documents justifying the demolition.

The NCSC chairman, Vijay Sampla, had recently visited Latifpura to meet the families affected by the demolition and had asked the Punjab government officials

CHHATTISGARH NEWS

त जाति आयोग के चेयरमैन ने दिए निर्देश, एससी वर्ग के 9716 मेडिकल छात्रों को तुरंत दी जाए छात्रवृत्ति

आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों के अनुसूचित जाति छात्रों को छात्रवृत्ति देने के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी.एस.सी.) के चेयरमैन विजय सांपला ने हरियाणा के मेडिकल कॉलेज के एम बी बी एस व अन्य मेडिकल कोर्स के अनुसूचित जाति छात्रों को भारी राहत देते हुए चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान विभाग के निदेशक को आदेश दिया है कि ऐसे विद्यार्थियों की लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान कर 3 अप्रैल 2023 तक इस संबंध में रिपोर्ट पेश की जाये। प्रदेश में इस वर्ग के 9716 छात्रों को तीन-चार साल से ये छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

आयोग ने मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को सभी मेडिकल कालेजों को यह दिशानिर्देश यथाशीघ्र जारी करने को कहा है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में देरी के कारण किसी भी अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के परीक्षा रोल नम्बर, मार्कशीट, प्रमाण पत्र, डिग्री, इन्टर्नशिप या अन्य किसी प्रकार की सुविधाओं को नहीं रोका जायेगा और उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त जो छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति का पोर्टल बन्द होने या अन्य किसी कारण से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाये हैं उन्हें सरकार द्वारा एक अवसर देकर छात्रवृत्ति वितरित करने हेतु कार्यवाही की जाये। जो छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण बीच में शिक्षा छोड़ चुके हैं, उन्हें भी एक अवसर प्रदान किया जाये।

Uttarkashi: अनु. जाति के युवक की पिटाई का मामला, आयोग ने आयुष की मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल, जांच के निर्देश

JAGRAN NEWS
Publish Date: Tue, 17 Jan 2023 08:22 AM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Jan 2023 08:22 AM (IST)

Uttarkashi News: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला जांच टीम और पूर्व राज्य सभा सदस्य तरुण विजय के साथ मोरी पहुंचीं। अंजू बाला ने पीड़ित आयुष के मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाया। वहीं सवर्ण जाति के आह्वान पर सोमवार को मोरी, सांकरी और नैटवाड़ बाजार बंद रहा।

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी : Uttarkashi News: उत्तरकाशी में अनुसूचित जाति के युवक आयुष की पिटाई के मामले में सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला जांच टीम और पूर्व राज्य सभा सदस्य तरुण विजय के साथ मोरी पहुंचीं।

आयुष के मेडिकल की जानकारी पुलिस थाने को नहीं दी

इस मामले में अधिकारियों की बैठक में सदस्य अंजू बाला ने पीड़ित आयुष के मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी को मोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्ट और 11 जनवरी को दून मेडिकल कालेज की मेडिकल रिपोर्ट में अंतर है। पीएचसी मोरी की ओर से 10 जनवरी को आयुष के मेडिकल की जानकारी पुलिस थाने को नहीं दी गई।

उन्होंने जिलाधिकारी को इन दोनों मामलों की जांच करने और दोषी पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक को निलंबित करने आदेश दिए। उधर सोमवार को मोरी में सवर्ण जाति के ग्रामीणों के आह्वान पर मोरी, सांकरी और नैटवाड़ बाजार बंद रहा और मोरी थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया गया।

नौ जनवरी की रात जिले के मोरी ब्लाक के बैनोल गांव में सालरा कौल महाराज मंदिर(शिव मंदिर) में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक आयुष की पिटाई की गई और उसे अंगारों से दागा गया। गंभीर रूप से घायल आयुष का इलाज देहरादून में चल रहा है।

इस मामले में पुलिस ने सवर्ण जाति के पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को आयोग सदस्य अंजू बाला उत्तरकाशी पहुंचीं और जांच अधिकारियों से इस मामले में अभी तक की कार्रवाई की रिपोर्ट ली।

आयोग की सदस्य अंजू बाला ने पीड़ित के पिता अतर लाल, पीड़ित की पत्नी व बच्चों को मिलने के लिए बैनोल गांव में गईं। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि इस मामले में उनके साथ पूरा न्याय होगा। इससे पहले पूर्व राज्य सभा सदस्य तरुण विजय भी पीड़ित परिवार से मिलने बैनोल गांव में गए।

me / Cities / Chandigarh News / Punjab IAS officer to appear before pane...

unjab IAS officer to appear before panel on Jan 17, ys NCSC

andigarh News
blished on Jan 14, 2023 12:51 AM IST

cording to director (Headquarters), NCSC, Kaushal Kumar said principal cretary of school education Jaspreet Talwar will appear before the mmission without police action on the date already fixed

NCSC notice to Jawahar Navodaya Vidyalaya over Dalit student's suicide

The 14-year old student allegedly left a note blaming his Brahmin teacher for cursing and abusing him and his parents with casteist slurs

January 13, 2023 09:11 pm | Updated 09:11 pm IST - NEW DELHI

THE HINDU BUREAU

COMMENTS SHARE READ LATER

The National Commission for Scheduled Castes has issued a notice to the administrators of a Jawahar Navodaya Vidyalaya in Madhya Pradesh, after a 14-year-old Dalit boy died by suicide citing caste discrimination by one of his teachers.

The boy was a student at the Centrally-administered Jawahar Navodaya Vidyalaya in the Sidhi district of Madhya Pradesh and has allegedly left a note blaming his Brahmin teacher for cursing him, abusing him and his parents with casteist slurs.

After the boy's suicide on January 1 this year, his parents have told the media that he was a good student but that his teacher kept abusing him, which led him to take such a step.

The National Commission for Scheduled Castes has now asked the school administrator in Bhopal, district authorities, and the local police in Sidhi to send an action-taken report on the matter within seven days of receiving the notice.

खबरों में आयोग

Police said the Salra village temple committee at Mori approached
alleging that he (Kumar) created a ruckus and threw the religious s
and idols inside the temple

Dalit man identified as Ayush Kumar previously alleged that he was thrashe
caste people for entering the temple (Representative Photo)

rakhand: अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट का
ला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने की जांच शुरू

अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 14 लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें

देहरादून

सार

सालरा गांव में एक अनुसूचित जाति के युवक को रातभर बंधक बनाकर जलती लकड़ी से पीटने का आरोप है। मामले में बैनोल गांव निवासी आयुष ने मोरी थाने में पांच लोगों के खिलाफ जान से मारने के प्रयास सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

आयुष - फोटो : अमर उजाला

Follow Us

विस्तार

उत्तरकाशी के 'सालरा गांव के मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट' अमर उजाला में 12 जनवरी को प्रकाशित खबर का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। इस मामले ... शुरू कर दी है। आयोग ने डीएम और एसपी उत्तरकाशी से तीन दिन के भीतर ... । आयोग का कहना है तय समय पर रिपोर्ट न मिलने पर वह दोनों अधिकारियों को ... कता है।

... क्षेत्र के सालरा गांव में एक अनुसूचित जाति के युवक को रातभर बंधक बनाकर ... पीटने का आरोप है। मामले में बैनोल गांव निवासी आयुष ने मोरी थाने में पांच लोगों ... मारने के प्रयास सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

PUNJAB

Scheduled Castes panel orders Punjab DGP to arrest Education Secretary

Case pertains to junior officer's appointment

SHARE ARTICLE

Listen to this article

Powered by Vuukle

Tribune News Service

Chandigarh, January 8

The National Commission for Scheduled Castes (NCSC) has ordered the DGP to arrest the Principal Secretary, Education, and pres
January 17. Principal Secretary Jaspreet Talwar had allegedly failed to appear before the commission.

In a communication sent to the DGP on Friday, the commission's court officer said Jaspreet Talwar, Principal Secretary, Departme
served a summon to attend the hearing before the commission on January 2, but she failed to attend the hearing.

Therefore, the National Commission for Scheduled Castes, exercising power of the Civil Court under Article 338 (8) of the Constit
arrest and bring Jaspreet Talwar before the NCSC at 10 am on January 17 in the chamber of its Chairman in Delhi.

Talking to The Tribune, Chairman of the commission Vijay Sampla said the case pertained to the seniority of teachers. He said the
representation filed by Surinder Pal, Chairman, Scheduled Caste (SC) PES Officers Welfare Association, Punjab, regarding the app

पंजाब: स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को गिरफ्तार कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सामने पेश करने के आदेश

अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 08 Jan 202 लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करें

चंडीगढ़

सार

वारंट तामील होने के बावजूद प्रधान सचिव नहीं पेश हुई थी। आयोग ने डीजीपी को कार्रवाई के लिखित आदेश दिए हैं।

सांकेतिक तस्वीर।

Follow Us

विस्तार

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)ने पंजाब सरकार में प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को गिरफ्तार कर आयोग के समक्ष पेश करने केआदेश दिए हैं। आयोग के कोर्ट अफिसर की ओर से जारी आदेशों में पंजाब के डीजीपी को ओदश दिया गया है कि उपरोक्त आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला की दिल्ली स्थित कोर्ट में 17 जनवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाए।

राज्य की प्रधान सचिव (स्कूल शिक्षा) जसप्रीत तलवार को वर्ष 2010 में जूनियर व् सामान्य वर्ग के प्रधानाचार्यो को शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य के रूप में नियुक्ति के मामले में सुनवाई के लिए सम्मन किया था। सम्मन तामील होने के बावजूद वह सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुई। इसी लिए आयोग ने उनके खिलाफ कड़े तेवर दिखाते हुए पुलिस महानिदेशक को यह आदेश दिया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

पंजाब स्कूल शिक्षा प्रधान सचिव के खिलाफ वारंट जारी: अनुसू
जाति आयोग ने DGP को कहा- अरेस्ट कर दिल्ली अदालत में

चंडीगढ़ 23 दिन पहले

संविधान सम्मान समारोह में पंजाब के राज्यपाल माननीय श्री बनवारी लाल पुरोहित की गरिमामयी उपस्थिति में विशेष सेवाओं के लिए श्री विजय सांपला जी को सम्मानित किया गया।

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में एक मामले की सुनवाई करते माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003